फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशे
	24/3/23	पत्रावली पेश हुई। बहस अंतिम सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 29/3/23 को पेश हो।	
	29/3/23	पत्रावली पेश हुई। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। इतना लिखने पर अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 व 5 की ओर से एक प्रार्थना पत्र धारा 151 C.P.C. का पेश किया। बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। प्रतिवादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अवधि गुजरने तक तहरीर जारी नहीं की जावे। अधिवक्ता वादी ने विरोध करते हुए कहा कि इससे प्रार्थीया को न्याय नहीं मिल पायेगा। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है। अपील अवधि की समाप्ति के पश्चात तहसीलदार जोबनेर को तहरीर जारी हो। 29/3/2023	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – अरूण कुमार जैन, आर0 ए0 एस

मूल वाद संख्या– 5/2021 तथा दायर दिनांकः–04.01.2021

इस न्यायालय का वाद पत्र संख्यांक 132/2022

नान्ची देवी पत्नि सायरमल जाति अहीर निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील–जोबनेर, जिला–जयपुर, राज0

वादिया

बनाम

1. रामकुंवार पुत्र रामचन्द्र
2. प्रभुदयाल पुत्र गोविन्दराम
3. बंशीधर पु. गोविन्दराम
4. रामनिवास पुत्र गोविन्दराम
5. सीताराम पुत्र रामचन्द्र
6. सूजाराम पुत्र गणेश
   समस्त जाति अहिर निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील–जोबनेर जिला–जयपुर
7. पंजाब नेशलन बैंक शाखा करणसर तहसील–जोबनेर
8. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा भैसावा
9. तहसीलदार तहसील फुलेरा हाल जोबनेर

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत् विभाजन व घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः– 1. श्री लोकश शर्मा, विद्वान अधिवक्ता वास्ते वादिया।
2. श्री सुरेश चंद शर्मा विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादी संख्या 1 व 05
3. सरकार पैरोकार

–:निर्णयः– दिनांकः–29.03.2023

पत्रावली पेश हुई। उक्त प्रकरण पूर्व मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 53 व 188 के अंतर्गत दिनांक 01.01.2021 को प्रस्तुत किया गया था। तत्पश्चात् श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जयपुर के आदेश कमांक सम/2022/4190–4200 दिनांक 11.10.2022 के द्वारा उक्त प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक से हस्तांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। वादी/प्रतिवादीगण अधिवक्ता तथा पैरोकार सरकार उपस्थित।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि वादिया का ननिहाल ससुराल ग्राम लक्ष्मीपुरा, तह0 जोबनेर में स्थित है तथा प्रतिवादी सं0 6 वादिया का मामेर ससुर है। प्रतिवादी सं0 6 एवं प्रतिवादी सं0 1लगा05 एक ही परिवार के सदस्य है तथा स्व0 सुखदेव के वंशज है। वादिया का पति सायरमल अपने बचपन से ही अपने ननिहाल ग्राम लक्ष्मीपुरा में अपने नाना गणेश व मामा प्रतिवादी सं0 6 सूजाराम के साथ रहते आ रहे है तथा वादिया अपने पति के साथ प्रतिवादी सं0 6 सूजाराम के पुख्ता मकानात जो आराजी ख0नं0 110 व 111 वाकै ग्राम

29/3/2023 उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

लक्ष्मीपुरा तह0 जोबनेर में बने हुये है में निवारा करते आ रहे है। स्व0 श्री सुखदेव के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी लगभग 156 बीघा वाकै ग्राम लक्ष्मीपुरा तह0 जोबनेर में स्थित थी जिसका आपसी सहमति से सन् 1972 में महादेव पुत्र सुखदेव, नारायण, गणेश, छोटू पुत्रान काना व पेगा पुत्र सुखदेव के मध्य विभाजन हाने से उक्त आराजी की खातेदारी इनके नाम विभक्त रूप से दर्ज की गई। स्व0 सुखदेव के वारिसान द्वारा उक्त आराजी पर अपने अपने पुख्ता मकान भी बना रखे थे। वादिया के मागेर ससुर प्रतिवादी सं0 6 के द्वारा भी अपने पुख्ता मकान अपने बुजुर्ग कानाराम के समय सन् 1960 से ही लक्ष्मीपुरा की आबादी भूमि से लगती हुई आराजी ख0नं0 110 व 111 जो कि ग्राम पचकोडिया से करणसर की ओर जाने वाली पुख्ता सडक पर स्थित है तथा उक्त सडक से लगती हुई दक्षिणी दिशा में ख0नं0 110 की आराजी में लगभग 5 विस्वा व खसरा नं0 111 की आराजी में लगभग 15 विस्वा पर अपने पुख्ता मकानात व बाडे बना रखे है। जिसमें प्रतिवादी सं0 6 व वादिया गय परिवार निवास करते आ रहे है तथा उक्त मकानात में विद्युत कनेक्शन भी ले रखा है। वादिया व प्रतिवादी सं0 6 तथा प्रतिवादी सं0 1लगा05 ने अपनी सहमति से यह तय किया गया कि वादिया के नाम जो खातेदारी आराजी ख0नं0 253/130 रकबा 1.06565 है0 वाकै ग्राम लक्ष्मीपुरा में स्थित है जिसमें वादिया का 5/32 वां हिस्सा है जिसमें लगभग 1 बीघा भूमि बनती है। उक्त ख0नं0 253/130 की वादिया के नाम दर्ज हिस्से की भूमि प्रतिवादी सं0 1लगा05 के हिस्से में रखी गयी तथा वादिया व प्रतिवादी सं0 6 के जहां पुख्ता मकानात ख0नं0 110 व 111/1 की लगभग 1 बीघा भूमि पर जो मकानात व बाडे बने हुये है वह हिस्सा वादिया व प्रतिवादी सं0 6 के हिस्से में रखा गया तथा पक्षकारान आपसी सहमति से हुये उक्त विभाजन के अनुसार काबिज रहकर आराजी का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। वादिया व प्रतिवादी सं0 6 के द्वारा प्रतिवादी सं0 1लगा05 को ख0नं0 110 व 111/1 तथा ख0नं0 253/130 के संबंध में जो आपसी सहमति से विभाजन हुआ उक्त विभाजन अनुसार खातेदारी दुरूस्त करवाये जाने का अनुरोध किया गया परन्तु प्रतिवादी सं0 1लगा05 बार-बार आश्वासन देते रहे तथा दिनांक 30.06.2020 को प्रतिवादी सं0 1लगा05 ने वादिया एवं प्रतिवादी सं0 6 को उपरोक्त विभाजन के अनुसार खातेदारी दुरूस्त करवाये जाने बाबत इंकार कर दिया। इसलिए यहां वाद बाबत घोषणा विभानज व घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा आराजी का पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद तलबी प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा पेश किये गये।

प्रतिवादी संख्या 2 लगा0 4 तथा प्रतिवादी संख्या 6 लगा0 9 के विरूद्ध बावजूद अखबार साया सूचना के उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 1 तथा 5 द्वारा वादीगण के वाद पत्र का पृथक-पृथक जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 5 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे में समान जवाब प्रस्तुत किया गया है, अतः प्रतिवादी संख्या 1 व 5 के जवाब दावे के संयुक्त रूप से तथ्य संक्षेप में निम्न अनुसार है:-वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का मद सं 1 गलत है, स्वीकार नही है, वादिया और उसका पति

29/3/2023
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

.....3

ग्राम लक्ष्मीपुरा में बचपन से कभी नहीं रहे है। मद सं0 2 में वर्णित वादिया को छोडकर अन्य पक्षकारान की आराजी के 1972 सहमति से विभाजन की बात स्वीकार है। मद संख्या 3 व 4 गलत है व स्वीकार नहीं है। पक्षकारान/प्रतिवादीगण मकानात अपनी–अपनी विभाजन में प्राप्त आराजीयात पर ही बने हुये है। मद संख्या 5 व 6 जिस प्रकार वर्णित है, गलत है। वादिया व प्रतिवादीगण के मध्य किसी प्रकार का कोई समझौता कभी भी आराजी ख0नं0 253/130, 110, 111/1 के हस्तान्तरण या विनियम या विभाजन बाबत नहीं हुआ तथा ना ही दिनांक 30.06.2020 वादिया व प्रतिवादी सं0 1 के मध्य किसी प्रकार की कोई वार्ता हुई। मद संख्या 7 व 9 गलत है वादिया का प्रतिवादी संख्या 1 की आराजी से कोई लेना–देना नहीं है तथा ना ही प्रतिवादी संख्या 6 का विवादग्रस्त भूमि से कोई लेना–देना है। मद संख्या 8 व 10 गलत है तथा सरसरी तोर पर खारीज होने योग्य है। वादिया द्वारा अनुतोष पैरा में कि गई प्रार्थना क, ख, ग, घ खारिज किये जाने योग्य है, वादिया किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नही है। अतिरिक्त कथन में कथन किया कि वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद अवधि बाधित होने से खारीज होने योग्य है, वादग्रस्त आराजी का सन् 1972 में विभाजन के समय वादिया खातेदार नही थी, इसमें वादिया को कोई लेना देना नही था। वादिया द्वारा बिना वादकारण दावा पेश किया गया है जो सरसरी तोर पर खारिज होने योग्य है। अतः वाद वादिया खारिज फरमावें।

वादी एवं प्रतिवादी का जवाब पेश हुआ तथा उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गयीः–

1. आया यह है कि वादग्रस्त आराजीयात ख0नं0 110 रकबा 1.9979 है0 व ख0नं0 111/1 रकबा 1.0116 है में खातेदार घोषित करवायी जाकर विभाजन करवाने तथा ख0नं0 253/130 रकबा 1.6565 है0 में अपने हक 5/32 पर प्रतिवादी सं0 1 लगा0 5 को खातेदार घोषित करवाने की हकदार है।

   वादिया

2. आया यह है कि वादीया वादग्रस्त आराजीयात ख0नं0 110, 111/1 ग्राम लक्ष्मीपुरा की 1 बीघा आराजी पर विरूद्ध प्रतिवादी सं0 1 लगा0 5 स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की हकदार है।

   वादिया

3. आया यह है कि वादग्रस्त आराजीयात ख0नं0 253/130, 110, 111/1 के संबंध में वादिया व प्रतिवादीगण के मध्य कोई समझौता नहीं होने, वाद वादिया बिना वादकारण पेश होने से काबिलें खारिज है।

   प्रतिवादीगण 1 व 5

4. अनुतोष

वादिया की ओर से अपने वादपत्र के समर्थन में पीडब्ल्यू–1 नान्ची देवी, पीडब्ल्यू–2 सुजाराम को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया तथा वाद पत्र के समर्थन में निम्न दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गयेः– जमाबंदी संवत् 2075–78 खाता संख्या

.....4

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

73 प्रदर्श –1, जमाबंदी संवत् 2075–78 प्रदर्श –2, जमाबंदी संवत् 2023–26 प्रदर्श –3, नक्शा ट्रेस की फोटो प्रति तथा बिजली बिल की फोटो प्रति पेश की गयी।

प्रतिवादीगण की ओर से डीडब्ल्यू–1 सीताराम जो स्वयं प्रतिवादी संख्या 5 है। डीडब्ल्यू–2 लक्ष्मीनारायण को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया तथा वाद पत्र के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किए गये।

बहस उभयपक्षकारान की सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं प्रत्येक विवाद्यक पर न्यायालय का विनिश्चय निम्न प्रकार है:–

1. विवाद्यक संख्या–1 व 3:–

विवाद्यक संख्या 1 व 3 आपस में संबंधित होने के कारण दोनों विवाद्यकों को एक साथ विनिश्चित किया जाना आवश्यक है। वादीया की ओर से दौराने बहस अभिवचन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि वादिया का ननिहाल ससुराल ग्राम लक्ष्मीपुरा, तह0 जोबनेर में स्थित है तथा प्रतिवादी सं0 6 वादिया का मामेर ससुर है। प्रतिवादी सं0 6 एवं प्रतिवादी सं0 1लगा05 एक ही परिवार के सदस्य है तथा स्व0 सुखदेव के वंशज है। वादिया का पति सायरमल अपने बचपन से ही अपने ननिहाल ग्राम लक्ष्मीपुरा में अपने नाना गणेश व मामा प्रतिवादी सं0 6 सूजाराम के साथ रहते आ रहे है तथा वादिया अपने पति के साथ प्रतिवादी सं0 6 सूजाराम के पुख्ता मकानात जो आराजी ख0नं0 110 व 111 वाकै ग्राम लक्ष्मीपुरा तह0 जोबनेर में बने हुये है में निवास करते आ रहे है। स्व0 श्री सुखदेव व अन्य खातेदारों की सहदायिकी के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी लगभग 156 बीघा वाकै ग्राम लक्ष्मीपुरा तह0 जोबनेर में स्थित थी जिसका आपसी सहमति से सन् 1972 में महादेव पुत्र सुखदेव, नारायण, गणेश, छोटू पुत्रान काना व प्रेमा पुत्र सुखदेव के मध्य विभाजन हाने से उक्त आराजी की खातेदारी इनके नाम विभक्त रूप से दर्ज की गई। स्व0 सुखदेव के वारिसान द्वारा उक्त आराजी पर अपने अपने पुख्ता मकान भी बना रखे थे। वादिया के मामेर ससुर प्रतिवादी सं0 6 के द्वारा भी अपने पुख्ता मकान अपने बुजुर्ग कानाराम के समय सन् 1960 से ही लक्ष्मीपुरा की आबादी भूमि से लगती हुई आराजी ख0नं0 110 व 111 जो कि ग्राम पचकोडिया से करणसर की ओर जाने वाली पुख्ता सडक पर स्थित है तथा उक्त सडक से लगती हुई दक्षिणी दिशा में ख0नं0 110 की आराजी में लगभग 5 विस्वा व खसरा नं0 111 की आराजी में लगभग 15 विस्वा पर अपने पुख्ता मकानात व बाडे बना रखे है। जिसमें प्रतिवादी सं0 6 व वादिया मय परिवार निवास करते आ रहे है तथा उक्त मकानात में विद्युत कनेक्शन भी ले रखा है। वादिया व प्रतिवादी सं0 6 तथा प्रतिवादी सं0 1लगा05 ने अपनी सहमति से यह तय किया गया कि वादिया के नाम जो खातेदारी आराजी ख0नं0 253/130 रकबा 1.06565 है0 वाकै ग्राम लक्ष्मीपुरा में स्थित है जिसमें वादिया का 5/32 वां हिस्सा है जिसमें लगभग 1 बीघा भूमि बनती है। उक्त ख0नं0 253/130 की वादिया के नाम दर्ज हिस्से की भूमि प्रतिवादी सं0 1लगा05 के हिस्से में रखी गयी तथा वादिया व प्रतिवादी सं0 6 के जहां पुख्ता मकानात ख0नं0 110 व 111/1 की लगभग 1 बीघा भूमि पर जो मकानात व बाडे बने हुये है वह हिस्सा वादिया व प्रतिवादी सं0 6 के हिस्से में रखा गया तथा पक्षकारान आपसी सहमति से हुये उक्त विभाजन के अनुसार

.....5

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

काबिज रहकर आराजी का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। वादिया व प्रतिवादी सं0 6 के द्वारा प्रतिवादी सं0 1लगा05 को ख0नं0 110 व 111/1 तथा ख0नं0 253/130 के संबंध में जो आपसी सहमति से विभाजन हुआ। वादीया की ओर से साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में भी उपरोक्त कथनों की ताईद की। जिरह के दौरान भी वादीया ने कथन किया की मेरा ननिहाल–ससुराल खेडी खीरवा में है। मेरे नाम 1 बीघा जमीन है। मेरे नाम 1 बीघा जमीन रामकुवांर ने करवायी थी। पीडब्लयू–2 सूजाराम ने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा एवं जिरह में वादिया के दाद पत्र के अभिकथनों की ताईद की। दौराने जिरह पीडब्लयू–2 ने कहा की तकासना सब की सहमति से हुआ था। सुखदेव के सभी वारिसान द्वारा अपने–अपने हिस्से में मकान बना रखे है। रामकुवांर व सीताराम के मकानात इनकी खातेदारी में है व कुछ आबादी भूमि में है। डीडब्लयू–1 सीताराम यादव ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया की वादीया व उसका पति लक्ष्मीपुरा में कभी नहीं रहे, ना ही कभी वादीया व हम प्रतिवादीगणों के मध्य आराजी खसरा नं0 253/130, 110, 111/1 के हस्तान्तरण या विनिमय या विभाजन बाबत कोई समझौता कभी नहीं हुआ। दौराने जिरह यह कथन किया की मेरे विवादग्रस्त जमीन के ख0नं0 110 व 111 में मकान बने हुये है। कानाराम व पेमाराम के वारिसान के पुख्ता खाम मकान कौनसे ख0नं0 में बने हुए है, मैं नहीं बता सकता। गणेश व सुजाराम के मकान कौनसे ख0नं0 में बने हुए है, मैं नही बता सकता। गणेश व सुजाराम के मकान के उत्तर दिशा में खेडी से पचकोडिया जाने वाली सडक है। दक्षिण दिशा में स्वयं का खेत है, पूर्व दिशा में स्वयं का खेत है। पश्चिम में भी रास्ता है। वादिया नान्ची देवी के नाम हमारी जमीन में 1 बीघा जमीन नाम है। जमीन के ख0नं0 मुझे ध्यान नहीं है। नान्ची देवी ने रामकुवांर मेरे बडे भाई से जमीन खरीदी थी। वादिया नान्ची देवी सूजाराम पुत्र गणेश के साथ ही निवास करती आ रही है। वादिया व सूजाराम का मकान ख0नं0 110 व 111 की आराजी मे ना होकर उनकी खातेदारी मे है। फिर कहा की यह मकान ख0नं0 110 व 111 की आराजी में है या नहीं मुझे पता नहीं । वहीं डीडब्ल्यू–2 लक्ष्मीनारायण ने मुख्य परीक्षा में कहा की वादिया व प्रतिवादीगण के मध्य खसरा नं0 253/130, 110, 111/1 के हस्तान्तरण, विनिमय या विभाजन बाबत कोई समझौता कभी नहीं हुआ। दौराने जिरह कथन किया की सुखदेव मेरे पडदादा लगते है। उनके कितने लडके मुझे पता नहीं। मेरे पिता के हिस्से में कौनसे ख0नं0 की जमीन आयी है मैं नहीं बता सकता। सूजाराम का मकान मैंने देखा है वह कितने बाई कितने मे बना है मैं नही बता सकता। सूजाराम के पूर्व में किसकी जमीन है मैं नहीं बता सकता। पश्चिम दिशा में आम रास्ता है जो लक्ष्मीपुरा गांव जाता है। सूजाराम के मकान के उत्तर व दक्षिण में क्या है मैं नहीं बता सकता। सूजाराम का मकान कौनसे ख0नं0 बना है मैं नहीं बता सकता। सायरमल को जानता हूँ जो सूजाराम का भान्जा है तथा नान्ची देवी सायरमल की धर्मपत्नि है। नान्ची देवी के नाम 1 बीघा जमीन है जिसके खसरा नं0 253 होगें। यह कहना सही है कि नान्ची देवी की जमीन की बा–जोत हम ही करते है। यह कहना सही है कि नान्ची देवी व सूजाराम जिस मकान में रहते हैं उस मकान व भूमि से हमारा कोई संबंध नहीं है।

2/3/2023
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

....6

उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्य एवं प्रस्तुत तर्कों का सामग्रता से अवलोकन किया गया ।

विवाद्यक संख्या 1 व 3 के संबंध में वादीया एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं प्रदर्श दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादीया अपने मामा ससुर सूजाराम के साथ निवास करती है। जिराकी ताईद डीडब्ल्यू–1 व 2 द्वारा अपनी साक्ष्य के दौरान जिरह में भी यह स्वीकार किया है कि वादीया अपने मामा ससुर के साथ उनके मकान में रहती है एवं उस मकान व मकान की भूमि से हमारा कोई संबंध नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि उक्त रिहायशी मकान किस खसरा नं0 में बने हुये है, वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा रिहायशी मकान किस खसरा नं0 में बनाये हुये है, का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। परन्तु उक्त रिहायशी मकान के उत्तर दिशा में पचकोडिया से करणसर का रास्ता व पश्चिम दिशा में लक्ष्मीपुरा का रास्ता मौके पर निर्मित है। वादीया के नाम ख0नं0 253/130 में जो भूमि नाम है, उस भूमि की बा–जोत प्रतिवादीगण द्वारा की जा रही है। जो कि आपसी सहमति एवं विभाजन के बिना संभव नहीं है।

उपरोक्त विवेचना अनुसार वादीया यह साबित करने में सफल रही है कि वादीया वादगस्त आराजी ख0नं0 110 व 111/1 में बने हुए पुख्ता मकान में अपने मामा ससुर सूजाराम के साथ निवास करती है तथा प्रतिवादीगण यह साबित करने में असफल रहे है कि वादीया व प्रतिवादीगण के मध्य आराजी खसरा नं0 253/130, 110, 111/1 के संबंध में कोई समझौता नहीं हुआ हो, क्योंकि प्रतिवादीगण द्वारा अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है कि वादीया का मकान व मकान की भूमि से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है तथा वादीया के नाम खातेदारी भूमि जो ख0नं0 253/130 में है की बा–जोत प्रतिवादीगण द्वारा की जा रही है। जो कि आपसी सहमति से ही संभव है। इस वाद के महत्वपूर्ण साक्षी प्रतिवादी संख्या 1 को पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरान्त भी साक्ष्य के उपस्थित नहीं हुआ तथा शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति भी यह दर्शाती है कि वादीया का वाद स्वीकार होने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार विवाद्यक संख्या 1 व 3 बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण विनिश्चित किया जाता है।

2 **विवाद्यक संख्या 2:–**

इस विवाद्यक को साबित करने का भार वादीया पर है। इस विवाद्यक में वादीया को यह साबित करना है कि वादीया विरूद्ध प्रतिवादी सं0 1लगा05 स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। जहॉ तक वादग्रस्त भूमि बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का प्रश्न है तो इस संबंध में वादीया द्वारा अपने अभिवचनों व मुख्य परीक्षा में वादग्रस्त भूमि पर स्वयं एवं अपने मामा ससुर सूजाराम का कब्जा होना बताया है तथा पुख्ता मकानात भी बना रखे है जिनमें विद्युत कनेक्शन भी ले रखा है। जिरह में भी डीडब्ल्यू–1 एवं 2 ने यह कथन किया है कि विवादित भूमि पर कब्जा वादीया का ही है एवे वादीया का मकान व मकान की भूमि से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है तथा वादीया के नाम खातेदारी भूमि जो ख0नं0 253/130 में है की बा–जोत प्रतिवादीगण द्वारा की जा रही है। ऐसी स्थिति में न्याय की मंशा यही है कि विवादग्रस्त भूमि के संबंध में पक्षकारों

.....7

29/3/2023
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

के मध्य विवाद नहीं बढे इसलिए प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार विवाद्यक संख्या 2 बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण 1 लगा0 5 विनिश्चित किया जाता है।

अनुतोषः–

चुकि वादीया विवाद्यक संख्या 1, 2 व 3 अपने पक्ष में साबित करने में सफल रही है। अतः उपरोक्त विवाद्यकों के निर्णयानुसार वादीया का वाद सभी अनुतोषों के बाबत् स्वीकार होने योग्य है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

–:क्रियात्मक आदेशः–

वादीया का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा के खसरा नं0 110 रकबा 1.9979 है0 में 5 बिस्वा (0.06325) तथा ख0नं0 111/1 रकबा 1.0116 है0 में 15 बिस्वा (0.18975 है0) जो ग्राम पचकोडिया से करणसर जाने वाली पुख्ता सडक के दक्षिणी दिशा पर स्थित है। उक्त सडक से लगती हुई दक्षिणी दिशा में खसरा नं0 110 में से 5 बिस्वा तथा ख0नं0 111/1 की आराजी में से 15 बिस्वा भूमि जिसके पश्चिम में लक्ष्मीपुरा गांव जाने वाला रास्ता स्थित है। वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तदानुसार प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 5 का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से में संशोधन किया जाकर प्रतिवादीगण 1 लगा0 5 तथा वादिया का नवीन हिस्सा दर्ज किया जावें। आराजी ख0नं0 253/130 रकबा 1.6565 है0 में वादिया का 5/32 हिस्सा है, से वादिया का नाम हजफ किया जाकर वादीया का 5/32 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 5 के नाम बहिस्सा बराबर–बराबर दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। तदानुसार ख0नं0 253/130 के राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर प्रतिवादीगण 1 लगा0 5 का नवीन हिस्सा दर्ज किया जावें। प्रतिवादीगण 1 लगा0 5 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा सें पाबन्द किया जाता हैं कि विवादग्रस्त भूमि में वादिया व प्रतिवादी सं0 6 के मकानात व बाडे बने हुए है के उपयोग उपभोग में मजाहमत नहीं करे। बेदखल किए जाने का प्रयास नहीं करें। रहन बैय, मुंतकिल, हस्तान्तरण, बेचान इत्यादि नहीं करें। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री मुर्तिब किया जाकर शामिल मिसल किया जावें। मुताबिक निर्णय तहसीलदार जोबनेर को तहरीर भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.03.2023 को टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/3/2023

(अरूण कुमार जैन)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आदेश 20 नियम 6–7 जाब्ता दिवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix D-1)

नज अदालत **उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर** मुकाम **जोबनेर** जिला जयपुर व इजलास **श्री** ण कुमार जैन आर0ए0एस0,

नान्ची देवी बनाम रामकुंवार वगै0

वाद पत्र बाबत् विभाजन व घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

कदमा नं0 5/2021 तथा इस न्यायालय का वाद पत्र संख्यांक 132/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **श्री अरूण कुमार जैन आर0ए0एस0** **हाजरी श्री** लोकेश शर्मा, विद्वान अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व श्री सुरेश कुमार शर्मा अधिवक्ता स्ते प्रतिवादी संख्या 1 व 05 सरकार पैरोकार मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया ता है व डिक्री की जाती है कि वादिया नान्ची देवी द्वारा प्रस्तुत दावा बाबत् विभाजन व षणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा निम्न प्रकार से निर्णीत किया जाता है:–

वादीया का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम क्ष्मीपुरा के खसरा नं0 110 रकबा 1.9979 है0 में 5 बिस्वा (0.06325) तथा ख0नं0 111/1 क़बा 1.0116 है0 में 15 बिस्वा (0.18975 है0) जो ग्राम पचकोडिया से करणसर जाने वाली ख्ता सडक के दक्षिणी दिशा पर स्थित है। उक्त सडक से लगती हुई दक्षिणी दिशा में खसरा 0 110 में से 5 बिस्वा तथा ख0नं0 111/1 की आराजी में से 15 बिस्वा भूमि जिसके पश्चिम लक्ष्मीपुरा गांव जाने वाला रास्ता स्थित है। वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया ाता है तदानुसार प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 5 का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से में संशोधन केया जाकर प्रतिवादीगण 1 लगा0 5 तथा वादिया का नवीन हिस्सा दर्ज किया जावें। आराजी ब्र0नं0 253/130 रकबा 1.6565 है0 में वादिया का 5/32 हिस्सा है, से वादिया का नाम हजफ केया जाकर वादीया का 5/32 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 5 के नाम बहिस्सा ब्रराबर–बराबर दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। तदानुसार ख0नं0 253/130 के राजस्व रेकार्ड में संशोधन किया जाकर प्रतिवादीगण 1 लगा0 5 का नवीन हिस्सा दर्ज किया जावें। प्रतिवादीगण 1 लगा0 5 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा सें पाबन्द किया जाता हैं कि विवादग्रस्त भूमि में वादिया व प्रतिवादी सं0 6 के मकानात व बाडे बने हुए है के उपयोग उपभोग में मजाहमत नहीं करे। बेदखल किए जाने का प्रयास नहीं करें। रहन बैय, मुंतकिल, हस्तान्तरण, बेचान इत्यादि नहीं करें। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री मुर्तिब किया जाकर शामिल मिसल किया जावें। मुताबिक निर्णय तहसीलदार जोबनेर को तहरीर भेजी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारिख 29 माह 03 सन् 2023 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोबनेर जिला जयपुर

वाद के खर्चे

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलाह	रूपया	पैसा
अर्जी दावा.....	04/–		स्टाम्प वकालतनामा....	01/–	
स्टाम्प वकालतनामा....	01/–		स्टाम्प वजह सबूत.....		
स्टाम्प वजह सबूत.....			महनताना वकील.....		
महनताना वकील.....			खर्चा गवाहान.....		
खर्चा गवाहान.....			फीस कमिश्नर.....		
फीस कमिश्नर.....			बाबत् इजराय हुक्मनामा.....		

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

] इजराय नामा...... फरिक...... मीजान....... कुल	02 / – 07 / –		मुतफरिक...... मीजान.......	01 / –	

– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकैन का, चाहे डिक्री के जरिए दिलाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

नान्ची देवी पत्नि सायरमल जाति अहीर निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील–जोबनेर, जिला–जयपुर, राज0

वादिया

बनाम

1. रामकुंवार पुत्र रामचन्द्र
2. प्रभुदयाल पुत्र गोविन्दराम
3. बंशीधर पु, गोविन्दराम
4. रामनिवास पुत्र गोविन्दराम
5. सीताराम पुत्र रामचन्द्र
6. सूजाराम पुत्र गणेश
   समस्त जाति अहिर निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील–जोबनेर जिला–जयपुर
7. पंजाब नेशनल बैंक शाखा करणसर तहसील–जोबनेर
8. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा भैरावा
9. तहसीलदार तहसील फुलेरा हाल जोबनेर

प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर